

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर० गुदागौडजी
 आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार जमावन्दी (वर्त २०७५-७८ के खाता सं. १२७५ में जोर
 गुरुदयाल पु० सुल्तानराय १/८ दर्ज निम्नोई प्रकार के अन्य आग श्राद्ध दस्तावेजों तथा आधारक
 जमावन्दी से अन्य खाता सं. ७१ में गुरुदयाल पु० सुल्तानराय की डक है जोरु कदमाल के अलग
 नाम न होकर होने गुरुदयाल के ही नाम है। जिसके साक्ष्यस्वरूप श्रुति प्राप्त बुकदर्ज २० ५ १९९१ सुल्तान
 अल निम्नोई विधिलम्बत भाडेशान् श्रीमान की सेवा में देना है।
 रिपोर्ट पटवारी अनुसार अदि किया जाना उचित ही है।

19-10-21

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशांया की जाती है /नहीं की जाती है।

21/10
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 21/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुदागौडजी	2075-2078	1275	जोरु कदमाल पु० सुल्तानराय छि १/८ दयाल पु० सुल्तानराय छि १/८	गुरुदयाल पु० सुल्तानराय छि १/८

नोट :- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/225-226

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी